उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता विभाग,
इलाहाबाद।

सं. 2018/02/01456/पीसी/वी1/सी./इला.

दिनांक 18.02.2019

प्रणाली सुधार सं.01/2019

मंडल रेल प्रबन्धक,
उमरे, इलाहाबाद, झांसी एवं आगरा।

विषयः– कर्मचारी हित निधि के दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रणाली सुधार ।

सतर्कता जांच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कर्मचारी हित निधि के तहद आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो में सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत धनराशियों का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। निर्धारित एलोकेशन के माध्यम से विभिन्न मदो में किये गये खर्चो का विवरण नियमतः नहीं बनाये जाने के साथ ही उन मदो में किये गये खर्चों की रसीदे नहीं रखी जा रही है। जिसके कारण कर्मचारी हित निधि के रकम का दुरुपयोग किये जाने की पूरी संभावना रहती है। अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रणाली सुधार को अपनाये जाने के बावत आवश्यक सुझाव दिये जा रहे है जो निम्नवत है।

1. कर्मचारी हित निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत मदो में किया जाये तथा प्रत्येक मद में खर्च की सीमा निर्धारित की जाये।

2. रेलवे बोर्ड के पत्र आर.बी. सं.83/2014 दिनांक 30.7.2014 के द्वारा कर्मचारी हित निधि के विभिन्न मदो के तहद व्यय की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अध्यक्ष, कर्मचारी हित निधि समिति अपने वित्तीय अधिकारो का प्रयोगFinancial Code Para 116 के अंर्तगत Checks & Balances को ध्यान में रखते हुये सुनिश्चित करे।

3. कर्मचारी हित निधि के द्वारा विभिन्न मदो में किये गये खर्चो का विवरणी स्पस्ट तौर पर तैयार करते हुये लेखा विभाग से नियमतः आडिट करायें।

4. कर्मचारी हित निधि के तहद आयोजित कार्यक्रमो में विभिन्न मदो में किये गये खर्चो की रसीद अवश्य प्राप्त किये जाये तथा सम्बन्धित अधिकारी के द्वारा उन रसीदो को सत्यापित किये जाये।

5. कर्मचारी हित निधि के माध्यम से विभिन्न मदो में किये गये खर्चों का सम्पूर्ण विवरण कार्यक्रम की समाप्ती के पश्चात अध्यक्ष कर्मचारी हित निधि समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किये जाये, जिसे अध्यक्ष के द्वारा भी अपने स्तर पर देखा जाये।

इसे वरि.उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

20/02/19

(ए.के.साहनी)
उप मु.सत.अधि./ प्रां

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रधान वित्तीय सलाहकार, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।